विज्ञापन संख्या (1/डी0आर0/सेवा–1/2009–10)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

आयोग भवन, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404

उत्तराखण्ड शासन

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि – 08 मई, 2009
विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि – 10 अप्रैल, 2009

उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत निम्नानुसार वर्णित पदों हेतु भारतीय नागरिकों से इस विज्ञापन के अन्त में मुद्रित फार्मेट पर मोटे फुलस्केप कागज पर आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या घट/बढ़ सकती हैं। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं विभाग संख्या का स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें।** एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अलग–अलग पदों के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र भरकर पृथक–पृथक लिफाफो में रखकर आयोग कार्यालय को प्रेषित करें। उक्त विज्ञापन के विषय में जानकारी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.gov.ua.nic.in/ukpsc पर भी प्राप्त की जा सकती है।

1. **होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी** (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(I) विभाग संख्या – सेवा –01/01

(II) पदों की संख्या – 58 पद (जिनमें 14 पद अनुसूचित जाति, 01 पद अनु0जनजाति तथा 08 पद उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं)

(III) वेतनमान – रू0 8000–13,500/– (दिनॉक 01.01.2006 से पुनरीक्षण होना है)

(IV) पद का स्वरूप – राजपत्रित/अंशदायी पेंशन युक्त/अस्थायी, भविष्य में चलते रहने की संभावना।

(V) अपेक्षित अर्हताएं– (अनिवार्य)

(एक) होम्योपैथिक में मान्य डिग्री जिसके पाठ्यक्रम पठन अवधि के अनुसार अध्ययन की अवधि 5 वर्ष से कम न हों या होम्योपैथिक में मान्य डिप्लोमा जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम में पठन अवधि 4 वर्ष से कम न हो। डिग्री धारक को अधिमान दिया जायेगा। प्रार्थी को होम्योपैथिक मेडीसिन बोर्ड, उत्तराखण्ड से विधिवत् रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। **(पंजीकरण आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक ही मान्य होगा)।**

(ब) अधिमानी :– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(1) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

2. **औषधि निरीक्षक** (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(I) विभाग संख्या – सेवा –01/02

(II) पदों की संख्या – 07 पद (जिनमें 02 पद उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति तथा 02 पद उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं)

(III) वेतनमान – रू0 5000–8000/–(दिनॉक 01.01.2006 से पुनरीक्षण होना है)

(IV) पद का स्वरूप – राजपत्रित/अंशदायी पेंशन युक्त/अस्थायी, भविष्य में चलते रहने की संभावना।

(V) अपेक्षित अर्हताएं–

अनिवार्य– फार्मेसी अथवा फार्मास्यूटिकल्स साइंसेज अथवा मेडिसिन में क्लीनिकल फार्माक्लॉजी अथवा माइक्रोबायोलॉजी में विशेष योग्यता सहित भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, परन्तु शर्त यह है कि :–

1. "द ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940" के सीडयूल "सी" में वर्णित पदार्थो में से किसी एक के निर्माण का कम से कम 18 माह का अनुभव प्राप्त हो, **अथवा**

2 "द ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940" के सीडयूल "सी" में वर्णित पदार्थो में से किसी एक के विश्लेषण का मान्यता प्राप्त लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा अनुमोदित संस्था में कम से कम 18 माह का कार्य अनुभव, **अथवा**

3. किसी निर्माणशाला में "द ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940" के सीडयूल "सी" में वर्णित पदार्थो में किसी के निरीक्षण का तीन वर्ष तक औषधि निरीक्षक के रूप में कार्य का अनुभव ।

(ब) अधिमानी :– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(1) सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की अर्हता रखता हो या,
(2) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(3) राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

3. <u>कुल सचिव</u> (उच्च शिक्षा विभाग)

(I) विभाग संख्या – सेवा –01/03
(II) पदों की संख्या – 02 पद (जिनमें 01 पद उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं)
(III) वेतनमान – रू0 3,200–100–3,500–125–4,875/– (जिसका 01.01.1996/01.01.2006 से पुनर्रीक्षण होना है।)
(IV) पद का स्वरूप – अराजपत्रित/अंशदायी पेंशन युक्त/अस्थायी, भविष्य में चलते रहने की संभावना।
(V) अपेक्षित अर्हताएं–

अनिवार्य–

1. **शैक्षिक अर्हता –** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। अभ्यर्थी को हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए।

2. **अनुभव सम्बन्धी अर्हता –** किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा उच्च शिक्षा के किसी संस्थान में रू0 6,500–10,500 के अथवा उससे अधिक वेतनमान में प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षकीय स्तर का 15 वर्ष का अनुभव।

अथवा

किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में न्यूनतम 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

(ब) अधिमानी :–

1. परास्नातक उपाधि अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधि अथवा कोई समकक्ष उपाधि।
2. अन्य बातों के समान रहने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी, जिन्हें विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्य करवाने अथवा उससे सम्बद्ध रहने तथा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से सम्बन्धित कार्य, पत्र लेखन में उत्कृष्ट कार्य का अनुभव, वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी कार्यों का अनुभव, जनसम्पर्क से सम्बन्धित कार्यो के निष्पादन एवं समस्याओं के निस्तारण का अनुभव हो।

4. <u>विद्युत अवर अभियंता</u> (विद्युत सुरक्षा विभाग)

(I) विभाग संख्या – सेवा –01/04
(II) पदों की संख्या – 03 पद (जिनमें 01 पद उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं)
(III) वेतनमान– रू0 5,000–8,000/– (दिनॉक 01.01.2006 से पुनर्रीक्षण होना है)
(IV) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/अंशदायी पेंशन युक्त/अस्थायी, भविष्य में चलते रहने की संभावना।
(V) अपेक्षित अर्हताएं–

(अ) अनिवार्य अर्हता –

1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या प्राविधिक संस्था से विद्युत अभियंत्रण (Electrical Engineering) में डिप्लोमा उत्तीर्ण।
2. सरलतापूर्वक देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने तथा लिख सकने की योग्यता हो।

(ब) अधिमानी :–

1. जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. जिसने राष्ट्रीय कैडिट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो

5. <u>ज़िला क्रीड़ा अधिकारी</u> (खेल विभाग)

(I) विभाग : – सेवा – 02/01

(II) पदों की संख्या – 01 पद (अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं)

(III) वेतनमान – रू0 6500–10500/–(दिनॉक 01.01.2006 से पुनरीक्षण होना है)

(IV) पद का स्वरूप – अराजपत्रित/अंशदायी पेंशन/स्थायी ।

(V) <u>अपेक्षित अर्हताए</u>

(क) अनिवार्य अर्हताएं :–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
2. एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
3. राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला या उससे सम्बद्ध अन्य एन0आई0एस0 संस्थान से प्रशिक्षण (कोचिंग) में डिप्लोमा।
4. खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का 02 वर्ष का अनुभव।

(ख) अधिमानी अर्हता :– राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

6. <u>उप क्रीड़ा अधिकारी</u> (खेल विभाग)

(I) विभाग : – सेवा – 02/02

(II) पदों की संख्या – 02 पद (अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं)

(III) वेतनमान – रू0 5000–8000/–(दिनॉक 01.01.2006 से पुनरीक्षण होना है)

(IV) पद का स्वरूप – अराजपत्रित/अंशदायी पेंशन/स्थायी ।

(V) <u>अपेक्षित अर्हताएं</u>

(क) अनिवार्य अर्हताएं :–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
2. खिलाड़ी के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
3. राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला या उससे सम्बद्ध अन्य एन0आई0एस0 संस्थान से प्रशिक्षण (कोचिंग) में डिप्लोमा।
4. प्रशिक्षण (कोचिंग) का 02 वर्ष का अनुभव।

(ख) अधिमानी अर्हता :– खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का 01 वर्ष का अनुभव।

7. <u>सहायक प्रशिक्षक</u> (खेल विभाग)

(I) विभाग – सेवा – 02/03

(II) पदों की संख्या – 05 पद (जिनमें से 04 पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं)

रिक्त 05 पदों में से 02 पद तैराकी खेल एवं शेष 03 पद बैडमिंटन, बॉलीबॉल, फुटबाल एवं एथलेटिक्स खेल में से भरा जाना है।

(III) वेतनमान – रू0 4500–7000/–(दिनॉक 01.01.2006 से पुनरीक्षण होना है)

(IV) पद का स्वरूप – अराजपत्रित/अंशदायी पेंशन/स्थायी ।

(V) <u>अपेक्षित अर्हताए</u>

(क) अनिवार्य अर्हताएं :–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
2. एन0आई0एस0 पटियाला या उससे सम्बद्ध अन्य एन0आई0एस0 संस्थान से प्रशिक्षण (कोचिंग) में डिप्लोमा।
3. एक खिलाडी के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व अवश्य किया हो, या अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के विद्यमान टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

(ख) अधिमानी अर्हता :– शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र।

परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी के रूप में भाग लिया हो, उनकी शैक्षिक योग्यताओ में इण्टरमीडिएट तक की छूट दी जा सकती है

4. उपरोक्त पद क्रमांक 5, 6 एवं 7 के लिए <u>अन्य अधिमानी अर्हताएं</u> – अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेवा में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय केडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

<u>अर्हताएं</u>

निर्धारित अर्हता (अनिवार्य एवं वरीयान सहित) प्राप्तांकों के प्रतिशत, आरक्षण, अनुभव आदि से सम्बन्धित दावे, प्रमाण पत्रों से समर्थित होने चाहिए, जिनके बिना ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकार किये जा सकते हैं। ऐसे दावे, आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक ही मान्य होंगे। केवल इस तिथि तक अभ्यर्थी को विज्ञापन में निर्धारित सभी अर्हताएं अवश्य धारित करना चाहिए। किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों को, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, को निर्धारित फार्मेट के सम्बन्धित स्तम्भ में अनिवार्य रुप से श्रेणी अंकित करना चाहिए। **आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद श्रेणी एवं अर्हताओं में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है।** (इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।)

<u>आवेदन कैसे करें</u>

आवेदन निर्धारित फार्मेट पर मोटे फुलस्केप कागज पर देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किये जाने चाहिए। यह टंकित, हस्तलिखित अथवा फोटो स्टेट हो सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फार्मेट इस विज्ञापन के अन्त में मुद्रित है। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र "**सचिव, (विभाग संख्या – सेवा–01 / ......) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, पिनकोड–249404**" के कार्यालय में **दिनांक 08 मई, 2009** को सायं 6.00 बजे तक या उसके पूर्व आयोग कार्यालय के काउन्टर पर हाथो–हाथ अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अवश्य पहुँच जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र अथवा अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

<u>आवेदन पत्र के साथ अवश्य होने चाहिये</u>

(क) निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटो स्टेट प्रतियॉ,

(1) आयु के प्रमाणीकरण हेतु हायर सेकेण्डरी / हाईस्कूल प्रमाण पत्र।

(2) निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु अंकपत्र एवं डिग्री अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं की प्रतियॉ।

(ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान की पुष्टि हेतु मूल बैंक ड्राफ्ट।

(ग) फार्मेट पर चिपका हुआ एक प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी या उस संस्था के प्रधान जहॉ अभ्यर्थी ने शिक्षा पाई हो, या विभागाध्यक्ष जहॉ अभ्यर्थी इस समय नौकरी में हो, से प्रमाणित होना चाहिए।

(घ) शारीरिक रुप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामलों में निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण उ0प्र0 के पत्र संख्या–11 / क / विकलांगता–5989–64, दिनांक 18–4–85 के साथ पठित शासनादेश सं0–7 / 4 / 1971–कार्मिक–2, दिनांक 29 मई, 1978 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र । (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में भी लागू है।)

(च) पूर्व सैनिक / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की पुष्टि में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना अपेक्षित होगा।

(छ) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या 22– / 21 / 1983 कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा। (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में भी लागू है।)

(ज) किसी भी आरक्षित श्रेणी / श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / एस0डी0एम0 / तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारुप शासनादेश संख्या 1540 / कार्मिक–2 / 2002, दिनांक 29 मार्च, 2003 में निर्धारित किया गया है।

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

सामान्य अनुदेश

(1) अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे। बिना निर्धारित शुल्क/निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन पत्र भी अस्वीकार कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

(3) **राष्ट्रीयता–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारतीय नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानियॉ और जंजीबार) प्रवजन किया हो : परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप–महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

(4) वैवाहिक प्रस्थिति :–

(अ) वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी सेवा नियमावली में उल्लिखित शब्द – ऐसा कोई पुरुष/स्त्री

(i) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हों,

या

(ii) जिसका पति/पत्नी जीवित होते हुए, उसने किसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो।

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाएं कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

(5) आयुसीमा – पद क्रमांक संख्या **1, 2, 5, 6** एवं **7** के लिए आयुसीमा **21 से 35 वर्ष** है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01.07.2009 है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.07.1974 से पूर्व का तथा 01.07.1988 के बाद का नहीं होना चाहिए।

पद क्रमांक संख्या **3** के लिए आयुसीमा **35 से 45 वर्ष होगी।** अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02.07.1964 से पूर्व का तथा 01.07.1974 के बाद का नहीं होना चाहिए। (किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने केन्द्रीयित सेवा अथवा विश्वविद्यालय के पदों पर कम से कम एक वर्ष की सेवा प्रदान की हो, अधिकतम आयु सीमा उस सीमा तक अधिक होगी जितना की उसने उक्त वर्णित आयु सीमा के दौरान सतत् सेवा प्रदान की हो)**।**

पद क्रमांक संख्या **4** के लिए आयुसीमा **18 से 35** वर्ष होगी। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01.07.2009 है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.07.1974 से पूर्व का तथा 01.07.1991 के बाद का नहीं होना चाहिए।

अधिकतम आयु सीमा में छूटः– उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए (यदि पद आरक्षित हों तो) अधिकतम आयु सीमा में विद्यमान शासनादेशों के अन्तर्गत देय छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अधिकतम आयुसीमा उनके द्वारा सेना में की गई सम्पूर्ण सेवा अवधि के अतिरिक्त 03 वर्ष और अधिक होगी। शासनादेश संख्या–कार्मिक–17/2/1981–कार्मिक–2 दिनांक 28–02–85 के प्राविधानों के अनुसार यह छूट ऐसे सैनिकों/सैन्य अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी, जो आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि से अगले 6 माह के भीतर अवकाश ग्रहण करने वाले होंगे। शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए (यदि पद आरक्षित हों तो) विद्यमान शासनादेशों के अन्तर्गत आयु सीमा में देय छूट अनुमन्य होगी। शासनादेश संख्या– 22 /21 /1983 – कार्मिक–2 दिनांक 28–11–85 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कुशल

खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन में मुद्रित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी का उल्लेख भी अवश्य करें अन्यथा आयुसीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। शासनादेश संख्या 1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार 07 दिन से कम जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक छूट अनुमन्य होगी।

(6) <u>आरक्षणः–</u> उत्तराखण्ड के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासनादेशों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, पूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993} (संशोधन) अधिनियम 2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत, शासनादेश संख्या **2422/XXX(2)/2005 दिनॉक 22 अगस्त, 2005** के अनुसार उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। उत्तराखण्ड की महिलाओं को 30 प्रतिशत, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 02 प्रतिशत, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को 05 प्रतिशत, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों को 04 प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रुप से विकलांग अभ्यर्थियों को 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विद्यमान अद्यतन शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विभिन्न उपश्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासनादेशों के अनुसार ही केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। अतः आरक्षण के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे। इसी प्रकार शासनादेश संख्या 2461/XXX(2)/2006 दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 के अनुसार कुशल खिलाड़ियों, शासनादेश संख्या 735/XVII(2)/2006 दिनांक 09 सितम्बर, 2006 के अनुसार उत्तराखण्ड की महिलाओं तथा शासनादेश संख्या 1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को भी क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों/उप श्रेणियों को आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा –

(अ) शासनादेश संख्या 1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 05 प्रतिशत का अधिमान दिया जायेगा तथा अगले 05 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी।

(ब) शासनादेश संख्या 4020/XX (4)–7/उ0आन्दो0/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार 07 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गये अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों में से निम्नलिखित श्रेणी के आंदोलनकारी के परिवार के एक व्यक्ति, जो आंदोलनकारी पर पूर्णरुप से आश्रित हो, को शासनादेश संख्या 1270/तीस–2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा :–

1. वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं है।
2. ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रुप से अक्षम होने के कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम है।
3. उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

उपरोक्तानुसार श्रेणी में आने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ–पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी। इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ जिला अधिकारी द्वारा जारी पुष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

उक्त श्रेणी में चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित है, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे :–

1. पत्नी **2.** आश्रित पुत्र **3.** अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां।

(7) **शुल्क रु0 100/–** किसी शेडयूल्ड बैंक द्वारा आहरित एवं निर्गत एकाउन्टपेयी (Accountpayee) बैंक ड्राफ्ट जो सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड को हरिद्वार में देय हो, स्वीकार किया जायेगा। उत्तराखण्ड के बाहर के अभ्यर्थी भी केवल बैंक ड्राफ्ट से ही शुल्क भेजें, किसी अन्य प्रकार से भेजा गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा और आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा **रु0 100/–** आवेदन शुल्क देय होगा किन्तु उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनु0जनजाति, शारीरिक रुप से विकलांग, पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क **रु0 60/–** होगा।

(8) अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त तथा धारित अर्हताएं स्वीकार नहीं की जायेंगी। अर्हता के दावे के संदर्भ में बाद में कोई अन्तर पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अधिवयस्क/अल्पवयस्क/अनर्ह होने पर अथवा नियम/प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन पत्रों के मामले में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(9) आवेदन पत्र के साथ 23X10 सें0मी0 आकार के दो लिफाफे जिस पर पद का नाम तथा विज्ञापन संख्या अंकित हो तथा पूरा पता लिखा हो तथा उसमें से एक लिफाफे पर अनिवार्य रुप से रू0 30/– मूल्य का डाक टिकट लगा हो, भेजे जाने चाहिए। अभ्यर्थी भली–भॉति नोट कर ले कि ऐसा न करने पर उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(10) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता। साक्षात्कार तिथि की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

(11) किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिए समस्त अर्ह उम्मीदवारों का साक्षात्कार सुविधाजनक/सम्भव न हो तो आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों द्वारा साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की छँटनी कर सकता है :–

(क) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं तथा अनुभव की अपेक्षा अधिक योग्यता और अनुभव के आधार पर या,

(ख) संगत क्षेत्र में अनुभव के आधार पर या ,

(ग) अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर या,

(घ) प्राक्चयन परीक्षण/स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करके। इसलिए उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख आवेदन पत्र में करें और उक्त योग्यताओं एवं अनुभव के समर्थन में प्रमाणित/ स्वप्रमाणित प्रतियां अवश्य संलग्न करें।

(12) पद/पदों के लिए आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट कराये जाने की दशा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक पद्धति अपनायी जायेगी।

(13) मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता साक्षात्कार के समय जॉच के लिए होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहॉ उन्होंने शिक्षा पाई हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

(14) ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हो, साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(15) अभ्यर्थी की पद हेतु पात्रता/अर्हता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(16) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तो के अनुसार अर्ह हैं।

(17) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र) एवं अविवाहित पौत्रियां ही आती हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22–1–1982, 8–3–1983 तथा शासनादेश संख्या 3014/कार्मिक–2, 1982 दिनांक 18–10–82 के साथ पठित शासनादेश संख्या–6/1972– कार्मिक–2 दिनांक 15–1–83 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 4/3/82–का–2/1997 दिनांक 26–12–97 के निर्धारित प्रारुप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में भी लागू है।)

(18) उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के रुप में उसके कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो।

(19) साक्षात्कार परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाएं, यह समाधान न हो जाएं कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(20) किसी अनाचार जैसे किसी महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने आदि के कृत्यों में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार आयोग को होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग के आगामी चयनों से 5 वर्षो की अवधि के लिए प्रतिवारित भी किया जा सकता है।

(21)कदाचार अर्थात् परीक्षाभवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इस निर्देश की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है और उनके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(22) पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग को भेजे जाने वाले पत्रों में आवेदित पद का नाम विज्ञापन संख्या तथा जन्म तिथि का उल्लेख अवश्य करें।

(23) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने पर भी सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

(24) हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(25) **लोक सेवा आयोग परिसर में मोबाइल फोन/संचार तंत्र प्रतिबन्धित है।**

(चन्द्र शेखर भट्ट)
सचिव।

परिशिष्ट–2
उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप
उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ....निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... नगर...................................जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

मुहर :

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ....निवासी ग्राम.. तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जला समाज कल्याण अधिकारी।

विकलांगों के लिए प्रमाण–पत्र

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER ....

No.....................................
Dated ....
HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. No. 7/4/1971 KARMIK-2 (U.P.) DATED MAY 20,1978

We Examined Sri/Smt./Km. .... aged about .... years .... on of/ Daughter of/Wife of ....resident of .... whose Signature/ L.T.I./R.T.I., is given below and certify that he/she is a case of .... We certify that he/she is permanently physically handicapped person.

Signature of Candidate

Orthopaedic Surgeon (Member)
Eye Specialist (Member)
Chief Medical Officer (President)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम....................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र के फार्म–1 से 4
फार्म–1

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ....

राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री ....से दिनांक .... (स्थान का नाम) में आयोजित ....कीड़ा/ खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–2

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) ....

..राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री... निवासी .... (पूरा पता)... ने दिनांक................................... से दिनांक .... तक .... (कीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट का स्थान)...आयोजित राष्ट्रीय ....में (कीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र ....(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः– यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की और से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम...राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री...निवासी (पूरा पता)...................................... विश्वविद्यालय की कक्षा ....(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूद ....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान...
दिनांक ....

हस्ताक्षर...
नाम...
पद नाम ....
संस्था का नाम..
मुहर ....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा उत्तराखण्ड ....राज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ....निवासी (पूरा पता).. ..में ....स्कूल में कक्षा...................................(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्थान प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान...
दिनांक ....

हस्ताक्षर...
नाम...
पद नाम ....
संस्था का नाम..
मुहर ....

<u>नोटः–</u> यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाईरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

आवेदन पत्र का प्रारुप
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार
आवेदन–पत्र

आवेदन शुल्क का विवरण (**मूल बैंक ड्राफ्ट अवश्य संलग्न करें**)

बैंक ड्राफ्ट का नम्बर एवं जारी करने की तिथि	बैक का नाम स्थान/ जिला सहित	धनराशि	कार्यालय की टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**

1. विज्ञापन संख्या ....
2. विभाग संख्या..
3. पद का नाम ....
4. अभ्यर्थी का पूरा नाम
   (1) हिन्दी में ....
   (2) अंग्रेजी में ....
5. पिता/पति का नाम ....
6. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)..
   (प्रमाण पत्र की स्वतः प्रमाणित फोटो प्रति भी संलग्न करें)

केवल वक्ष तक की एक नवीनतम पासपोर्ट फोटो (अभिप्रमाणित) यहॉ पर चिपका दें और तिथि सहित अपना हस्ताक्षर भी करें।

7. क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी है ? हॉ/नहीं
8. आरक्षण की श्रेणी जिसका लाभ चाहते हैं :–

☐ उत्तराखण्ड अनु0जा0 ☐ उत्तराखण्ड अ0ज0जा0 ☐ उत्तराखण्ड पिछड़ी जा0 ☐ उत्तराखण्ड स्व0सं0से0 के आश्रित ☐ उत्तराखण्ड विकलांग ☐ उत्तराखण्ड सैन्य विनियोजित/पूर्व सैनिक

☐ उत्तराखण्ड महिला ☐ उत्तराखण्ड कुशल खिलाड़ी ☐ उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी/आश्रित

9. (क) स्थाई पता –..
   ....
   (ख) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....
   ....
   (पता परिवर्तन होने की सूचना तत्काल दें)

10. शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण :–

	बोर्ड/वि0वि0	वर्ष	श्रेणी	पूर्णांक/प्राप्तांक	प्रतिशत	संस्था का नाम
1. हाईस्कूल						
2. इण्टरमीडिएट						
3. स्नातक						
4. स्नातकोत्तर						
5. अन्य						

11. शोध कार्य एवं अन्य विवरण (यदि कोई हो)

12. अनिवार्य/वरीयान अर्हताओं संबंधित अन्य विवरण (यदि कोई हो)

अभ्यर्थी अपने दावे के सम्बन्ध में प्रमाण सहित विवरण दे।

(अ) पद के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हता (अ)
(ब) पद के लिए निर्धारित वरीयान अर्हता (ब)

13. अनुभव का विवरण :-

पदनाम	वेतनमान	सेवावधि (प्रारम्भ से अब तक)	कुल अनुभव	संस्था का नाम (सरकारी/गैर सरकारी)	अन्य

4. क्या अभ्यर्थी ने अपना पता लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड तथा अपना पता लिखे हुए 23X10 सें0मी0 आकार के दो लिफाफे संलग्न किये हैं ? (उसमें से एक लिफाफे पर अनिवार्य रुप से रु0 30/- मूल्य का डाक टिकट लगा हो)
उत्तर हां या नहीं में अंकित करें ....

घोषणा

1. मै एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूॅ कि मैने विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्ते सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं यह मुझे मान्य है और मै वह शर्तें पूरी करता/करती हूॅ ।
2. मै यह भी घोषणा करता/करती हूॅ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पाई जाये या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति पाये जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये।
3. मै राज्य सरकार/भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूॅ/नहीं हूॅ और मैने अपना आवेदन भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनांक ....को विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।

संलग्नकों की संख्या -
1. अंकों में ....
   शब्दों में ....
2. विवरण.....................................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक ....
स्थान ....